# प्रेस प्रकाशनी

## भारतीय रिज़र्व बैंक ने पेपर आधारित लेन-देनों पर प्रभार लगाने का अध्ययन समूह का सुझाव नामंजूर किया

**दिनांक 4 मई 2007**

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पेपर आधारित लेनदेनों पर प्रभार लगाने का अध्ययन समूह का सुझाव नामंजूर करने का निर्णय लिया है। आपको यह ज्ञात होगा कि पेपर आधारित निधि अंतरण से इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण में परिवर्तन पर आंतरिक अध्ययन समूह द्वारा अन्य सुझावों के साथ-साथ पेपर आधारित लेनदेनों पर प्रभार लगाने का सुझाव दिया था, ताकि ग्राहकों को सुरक्षित और त्वरित इलेक्ट्रॉनिक अंतरण की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, यह प्रभार ग्राहकों द्वारा वहन किया जाना था। प्रसंगवश, यह नोट किया जाए कि रिज़र्व बैंक ने इससे पहले भी इसी तरह के दो सुझावों को नामंजूर कर दिया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने और आगे यह स्पष्ट किया है कि रिज़र्व बैंक द्वारा गठित किसी भी अध्ययन समूह चाहे वह - आंतरिक हो या बाह्य - द्वारा दिए गए सुझाव केवल सुझावात्मक स्वरूप के होते हैं और यह रिज़र्व बैंक का अभिमत नहीं होता है। इन रिपोर्टों को अभिमत/सुझाव प्राप्त करने के लिए पब्लिक डोमेन पर रखा जाता है।

रिज़र्व बैंक को अध्ययन समूह द्वारा दिए गए अन्य सुझाव जो विचाराधीन है, के संबंध में अभिमत प्राप्त हो रहे हैं।

## ग्राहक अब बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं

**दिनांक 24 मई 2007**

बैंक ग्राहक अब उन मामलों में बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं जहां उसने योजना

के अंतर्गत निर्दिष्ट शिकायत के क्षेत्र के भीतर आनेवाले मामलों से संबंधित ग्राहक की शिकायतों को अस्वीकार कर दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 को संशोधित किया है ताकि ग्राहक बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध शिकायत कर सकें। ये संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इस योजना में संशोधन के पूर्व, बैंक ग्राहक केवल बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अधिनिर्णय के विरुद्ध ही अपील कर सकते थे। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर बैंकिंग लोकपाल योजना के अपीलीय प्राधिकारी हैं।

यह स्मरण होगा कि वर्ष 2007-08 की वार्षिक नीति में रिज़र्व बैंक ने घोषणा की थी कि ग्राहकों से प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर वह बैंकिंग लोकपाल के निर्णयों पर भी अपील का विकल्प प्रदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 में संशोधन करेगा।

मूल रूप से वर्ष 1995 में लागू की गई बैंकिंग लोकपाल योजना बैंक सेवाओं में कमी से संबंधित बैंक ग्राहकों की शिकायतों का तेजी और किफायती रूप से समाधान करती है। इस योजना में अब सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक शामिल हैं। ग्राहक अब अपनी शिकायतों के समाधान हेतु संबंधित बैंक के पास उपलब्ध सभी चैनलों द्वारा समाधान न होने के बाद क्रेडिट कार्ड सहित प्रायः किसी भी बैंकिंग सेवा में कमी के विरुद्ध बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत कर सकते हैं। रिज़र्व बैंक ने इस योजना के अंतर्गत 15 बैंकिंग लोकपाल नियुक्त किए हैं जो अधिकांशतः राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। बैंकिंग लोकपाल समझौते अथवा मध्यस्थता के माध्यम से शिकायतों का समाधान करने का प्रयास करता है और यदि ऐसे निपटान के माध्यम से समाधान नहीं होता है तो कोई अधिनिर्णय पारित करता है।

## वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिए भारत सरकार को अर्थोपाय अग्रिम

**दिनांक 24 मई 2007**

भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया कि राजकोषीय वर्ष 2007-2008 से निम्नलिखित व्यवस्थाएं लागू होंगी।

वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर) के लिए अर्थोपाय अग्रिमों के लिए सीमा 20,000 करोड़ रुपए और वर्ष की दूसरी छमाही (अक्तूबर से मार्च) के लिए 6,000 करोड़ रुपए होगी। जब अर्थोपाय अग्रिमों की सीमा का 75 प्रतिशत सरकार द्वारा इस्तेमाल कर लिया जायेगा, तो रिज़र्व बैंक बाजार ऋणों के नये निर्गमों को जारी कर सकता है।

रिज़र्व बैंक संक्रमणकालीन मामलों और वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के परामर्श से किसी भी समय इन सीमाओं में संशोधन कर सकता है।

अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज दर/ ओवरड्राफ्ट इस प्रकार रहेगी :

| | |
|---|---|
| (क) अर्थोपाय अग्रिम | रिपो दर |
| (ख) ओवरड्राफ्ट | रिपो दर के ऊपर दो प्रतिशत |

भारत सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जानेवाली न्यूनतम शेष राशि शुक्रवारों को, भारत सरकार के वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख को और 30 जून को अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक खाता-बंदी को 100 करोड़ रुपए से कम नहीं होगी और अन्य दिनों को 10 करोड़ रुपए से कम नहीं होगी।

भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच 26 मार्च 1997 के करार के प्रावधानों के अनुसार 10 निरंतर कार्य-दिवसों से परे ओवरड्राफ्ट की अनुमति नहीं होगी।